भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2779
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना

2779. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कुछ राज्य और जिले विकास की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, जबकि अन्य तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं;

(ख) उक्त अंतर को कम करने या पाटने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमांत और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों को विकसित राज्यों के बराबर लाने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) योजना, जिसे समाप्त कर दिया गया था, देश में सबसे कम विकसित राज्यों की स्थिति में सुधार करने में किस सीमा तक सहायक थी;

(ङ) उक्त योजना को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार देश में और विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए बीआरजीएफ योजना को पुनः प्रारम्भ करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) सामाजिक-आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें प्रगति के चरण और क्षेत्रीय असमानताएं विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों के आधार पर भिन्न होती हैं। भारत सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न योजनाओं को

क्रियान्वित करती है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी उल्लेखनीय पहलें विशेष रूप से क्षेत्रीय विकास अंतराल को पाटने पर केंद्रित हैं।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय देश के 28 राज्यों के 272 जिलों में 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम (जिला घटक) को क्रियान्वित कर रहा था। इस अवधि के दौरान, स्थानीय बुनियादी ढांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने के लिए योजना के तहत शामिल जिलों के लिए 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया गया था, जो उस अवधि के दौरान मौजूदा वित्तीय प्रवाह के माध्यम से पर्याप्त रूप से पूरा नहीं हो रहा था।

(ङ) से (छ) बीआरजीएफ कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन से अलग कर दिया गया, जिसके तहत केंद्रीय करों की शुद्ध आय में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से 42% बढ़ गई और जिसने राज्यों को, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए, विकासात्मक योजनाओं के वित्तपोषण और उनके स्वरूप निर्धारण के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान की।

***